



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112021-231483
CG-DL-E-30112021-231483

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4538]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 30, 2021/अग्रहायण 9, 1943

No. 4538]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 30, 2021/AGRAHAYANA 9, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(पीआईटीएनडीपीएस प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2021

का.आ. 4908(अ).—जबकि, स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उपधारा के तहत दिनांक 09.09.2020 को जारी आदेश सं. यू.-11011/03/2020-पीआईटीएनडीपीएस में यह निर्देश दिया था कि श्री दिलीप कुमार@दिलीप कुमार @दिलीप साह @दिलीप साव @दिलीप साओ, सुपुत्र श्री हरि शरण चौधरी, ग्राम-मौजीपुर, डाकघर+थाना- फतुहा, जिला-पटना, बिहार को हिरासत में लिया जाए और बेऊर केंद्रीय कारागार, किसान कॉलोनी, अनिसाबाद, पटना में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार करने से रोका जा सके।

2. जबकि केंद्र सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने आपको छिपा रहा है ताकि उक्त आदेश का पालन न किया जा सके।

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त व्यक्ति सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर पुलिस महानिदेशक, पटना के समक्ष पेश हो।

[फा. सं. यू.-11011/03/2020-पीआईटीएनडीपीएस]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(PITNDPS DIVISION)****ORDER**

New Delhi, the 30th November, 2021

S.O. 4908(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued a Detention Order No.U-11011/3/2020-PITNDPS dated 09.09.2020 under the said sub-section directing that Shri Dilip Kumar @ Dileep Kumar @ Dilip Sah @ Dilip Saw @ Dilip Sao S/o Shri Hari Saran Choudhary, R/o Village- Maujipur, PO+PS- Fatuha, Distt.- Patna, Bihar, be detained and kept in custody in Beur Central Jail, Kisan Colony, Anisabad, Patna with a view to prevent him from engaging in illicit trafficking of narcotic drugs & psychotropic substances.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the said detention order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub- section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Patna within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. U-11011/03/2020-PITNDPS]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.